

झारखण्ड सरकार  
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अरवा राजकमल,  
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक,  
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक - / / 2024 ई०।

विषय :- केन्द्र प्रायोजित योजना Security Related Expenditure (SRE) हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू० 17,92,00,000/- (सतरह करोड़ बेरानवे लाख रुपये) मात्र के आवंटन के संबंध में।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-411, दिनांक 12.12.2023 के द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजना Security Related Expenditure (SRE) (100:0 एवं 60:40 Component) हेतु रू० 124,92,00,000/- (एक सौ चौबीस करोड़ बानवे लाख रुपये) मात्र की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। विभागीय आवंटनादेश सं०- 139, दिनांक 20.12.2023 द्वारा रू० 107,00,00,000/- (एक सौ सात करोड़ रुपये) मात्र पुलिस महानिरीक्षक (प्रोविजन), झारखण्ड, राँची को आवंटन दिया गया है।

2. उक्त के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में केन्द्र प्रायोजित योजना Security Related Expenditure (SRE) (100:0 एवं 60:40 Component) हेतु प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध तृतीय अनुपूरक आगणन 2023-24 के माध्यम से उपबंधित राशि (60:40 Component) कुल रू० 17,92,00,000/- (सतरह करोड़ बेरानवे लाख रुपये) मात्र का आवंटन प्रदान किया जाता है।

3. योजना अंतर्गत राशि का व्यय निम्न बजटशीर्ष से किया जाएगा :-

क्र०	बजटशीर्ष	राशि (रू० में)
1	2055-पुलिस-001-निदेशन और प्रशासन-AR-सुरक्षा संबंधी व्यय (State Police)-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय (राज्यांश)	2,33,31,370
2	2055-पुलिस-001-निदेशन और प्रशासन-AR-सुरक्षा संबंधी व्यय (State Police)-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय (केन्द्रांश)	3,49,60,000
3	2055-पुलिस-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोगना-AR-सुरक्षा संबंधी व्यय (State Police)-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय (राज्यांश)	4,83,68,630
4	2055-पुलिस-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोगना-AR-सुरक्षा संबंधी व्यय (State Police)-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय (केन्द्रांश)	7,25,40,000
	कुल :-	17,92,00,000

(सतरह करोड़ बेरानवे लाख रुपये) मात्र

4. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पुलिस महानिरीक्षक (प्रोविजन), झारखण्ड, राँची होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची से की जाएगी।

5. महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विषयांकित योजना के नियंत्री पदाधिकारी होंगे। उनका यह दायित्व होगा कि वे राशि के निकासी करने के पूर्व संतुष्ट हों ले कि जिस राशि की निकासी की जा रही है वह सही है तथा इसकी पूर्व में निकासी नहीं की गयी है। किसी प्रकार का अवैध निकासी का उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी खर्च का अभिश्रव संचारित करेंगे और व्यय का सत्यापन महालेखाकार कार्यालय से कराकर प्रतिवेदन गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के बजट शाखा को उपलब्ध करायेंगे।



7. विषयांकित योजना के भौतिक सत्यापन की जिम्मेदारी महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची पर होगी।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आवंटित राशि का विचलन अन्य कार्यों के लिए नहीं करेंगे तथा खर्च न होने वाली/बचत की राशि को इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व प्रत्यर्पित करने की कार्यवाही करेंगे।
9. योजना का कार्यान्वयन में PWD Code, वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561/वि०, दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत संबंधित सभी वित्तीय/प्रशासनिक नियम/विनियम का अक्षरशः पालन किया जायगा। Tax (IT/VAT/Service Tax/Royalty) इत्यादि At Source /स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप Settle किया जायगा। कार्यान्वयन एजेन्सी किसी भी अनियमितता के लिए उत्तरदायी होगी।
10. राशि की निकासी में झारखण्ड कोषागार संहिता 2016 के नियम 74 का अनुपालन सख्ती से किया जाएगा।
11. गलत भुगतान के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।
12. महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी योजनाओं का कार्यान्वयन ससमय पूर्ण कराते हुए आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे।
13. योजनाओं का वित्तीय/भौतिक प्रगति प्रतिवेदन गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा योजना-सह-वित्त विभाग को निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक माह उपलब्ध कराया जाएगा।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(अरवा राजकमल)  
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- 03/पु०ब०(SRE)-1401/2023 ...../

राँची, दिनांक- / /2024 ई०।

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- 03/पु०ब०(SRE)-1401/2023 ...../

राँची, दिनांक- 11/03/2024 ई०।

प्रतिलिपि : प्रधान महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/पुलिस महानिरीक्षक (अभियान), झारखण्ड, राँची/पुलिस महानिरीक्षक (प्रोविजन), झारखण्ड, राँची/पुलिस उप-महानिरीक्षक (बजट), झारखण्ड, राँची/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/टोडल पदाधिकारी, विभागीय पोर्टल, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।





आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Home, Jail and Disaster Management Department (Home Division)

चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु निम्नोक्तित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या -- 3/PBSRE-1401/23/175

दिनांक - 11-Mar-2024

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं.	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 22 205500001AR000759 2055 - पुलिस 00 - पुलिस 001 - निदेशन और प्रशासन AR - सुरक्षा संबंधी व्यय (राज्य पुलिस) 00-NA 07 - अन्य व्यय Central Scheme (State Share)  State Scheme : SECURITY RELATED EXPENDITURE (STATE POLICE)(2140) Central Scheme : MODERNISATION OF POLICE FORCES(3194)	92558	PRJPOL001  PANKAJ KAMBOJ  I.G.OF POLICE PROVISION  59 - अन्य व्यय	23,331,370.00  रुपये दो करोड तैतीस लाख हकतीस हजार तीन सौ सत्तर
2	C 22 205500001AR000759 2055 - पुलिस 00 - पुलिस 001 - निदेशन और प्रशासन AR - सुरक्षा संबंधी व्यय (राज्य पुलिस) 00-NA 07 - अन्य व्यय Central Scheme	92560	PRJPOL001  PANKAJ KAMBOJ  I.G.OF POLICE PROVISION  59 - अन्य व्यय	34,960,000.00  रुपये तीन करोड उनचास लाख साठ हजार
3	S 22 205500796AR000759 2055 - पुलिस 00 - पुलिस 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना AR - सुरक्षा संबंधी व्यय (राज्य पुलिस) 00-NA 07 - अन्य व्यय Central Scheme (State Share)  State Scheme : SECURITY RELATED EXPENDITURE (STATE POLICE)(2140) Central Scheme : MODERNISATION OF POLICE FORCES(3194)	92563	PRJPOL001  PANKAJ KAMBOJ  I.G.OF POLICE PROVISION  59 - अन्य व्यय	48,368,630.00  रुपये चार करोड तिरयासी लाख अहसत हजार छः सौ तीस

106,660,000.00

योग:

रुपये दस करोड छछठ लाख साठ हजार

क्रमिक योग:

(ARAVA RAJKAMAL)  
SECRETARY

